

कार्यालय जिला परिषद्, मधुबनी

id ukv

जिला परिषद् उच्चतर माध्यमिक संगीत एवं कम्प्युटर शिक्षक तथा जिला परिषद् पुस्तकालयाध्यक्ष नियोजन हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2016 के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से स्थगित नियोजन प्रक्रिया विभागीय पत्रांक : 1065, दिनांक : 13.07.2016 के आलोक में दिनांक- 19.07.2016 को कैम्प के माध्यम से जिला परिषद् कार्यालय परिसर में अवस्थित नया भवन में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया विद्यालय सहमती लेते हुए पूरी की जाएगी। मेधा सूची में वर्णित अभ्यर्थी निश्चित रूप से 10.00 बजे पूर्वाहण में निर्धारित स्थल पर अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे। नियोजन की प्रक्रिया 11.30 बजे पूर्वाहण से प्रारम्भ की जाएगी। प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर विषयवार एक अभ्यर्थी (कैम्प के नियमानुसार) का अधिकतम तीन वार नाम पुकारा जाएगा। नाम पुकारे जाने के क्रम में यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, उनको अनुपस्थित मानते हुए मेधा सूची के अगले क्रम के अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। बाद में उनके उपस्थिति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी अपने साथ दो पासपोर्ट साईज फोटो, सभी मूल प्रमाण-पत्र (यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, एस0टी0ई0टी0 प्रमाण-पत्र, जाति, आवासीय इत्यादि), इस आशय का शपथ पत्र की "उनके द्वारा दिये गये सभी प्रमाण-पत्र सही एवं वैध है गलत पाये जाने पर उनका नियोजन रद्द करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए नियोजन इकाई स्वतंत्र होगा"साथ में लाना अनिवार्य है। सभी प्रमाण-पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति, दो फोटो, शपथ पत्र इत्यादि फाइल में सजाकर देना होगा जो कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक मूल प्रमाण-पत्र छायाप्रति के साथ मिलान कर अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। चयनित संगीत एवं कम्प्युटर शिक्षकों का बी0एस0आई0टी0ई0टी0 एवं शपथ पत्र का मूल एवं पुस्तकालयाध्यक्ष का बी0लीव0 का मूल प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र कार्यालय में जमा करा लिया जाएगा। नियोजन प्रक्रिया निर्धारित स्थल पर प्रातः 10.00 बजे पूर्वाहण आरम्भ किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति 10.00 बजे पूर्वाहण निर्धारित स्थल पर अनिवार्य होगा।

नियोजन संबंधित जानकारी एन0आई0सी0 के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, मधुबनी।